संख्या-23/2017/125/तेईस-14-2017-06आ0बु0वि0नि0/2015

प्रेषक,

मोहन बाबू गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
झांसी।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 17 मार्च, 2017**

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-झांसी की 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-84/2016/284/23-14-2016-06आ0बु0वि0नि0/2015, दिनांक 31.03.2016 द्वारा जनपद झांसी की 02 परियोजनाओं-(1) सेमरी कछियान सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य एवं (2) पालर से टांडा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु रू0 142.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 28.52 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी, झांसी के पत्र संख्या-37/181-बु0वि0नि0 (राज्यांश)/2016-17, दिनांक 14-12-2016 द्वारा उक्त 02 परियोजनाओं में से 01 परियोजना-**सेमरी कछियान सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य** के सम्बन्ध में परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 70.59 लाख के सापेक्ष अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की धनराशि रू0 14.12 लाख के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, झांसी के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 56.47 लाख (रू0 छप्पन लाख सैंतालिस हजार मात्र) अवमुक्त करने एवं उसे आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना की कार्यदायी संस्था, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झांसी है।

2- यह धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्यो के अवशेष कार्य कडी निगरानी में समयबद्व ढंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेगें कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगें। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2017 से पूर्व जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना के मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "पूंजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-(आयोजनागत)-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2017/125(1)/23-14-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, झांसी ।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, इलाहाबाद।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।